



कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता
Office of the executive engineer
विद्युत वितरण खण्ड-बिलासपुर
Electricity Distribution Division-bilaspur
जनपद रामपुर। Distt. Rampur.

फोन नं० 0595-2413140 Email Add.: edd.bilaspur@gmail.com

पत्रांक 4573 - विविध-बि/रा/

दिनांक : 7-8-2023

विषय :- जमा योजना के अन्तर्गत नये निजी नलकूप के विद्युत संयोजन हेतु धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में।

सेवा में,

श्री सुखयन्त सिंह पुत्र श्री भजन सिंह
निवासी ग्राम बीबरा,
तहसील बिलासपुर,
जिला रामपुर।
कृषि की जमीन एवं साइट-ग्राम बीबरा।

महोदय

P.F Receipt No. & Date	P53725972/100 Dated 08.07.2023
Aadhar No.	234311785129
Mob No.	9719212266
Vill Code/Khatauni no	198/5.196
Line	Cable connection
Feeder Name	Rampura
Sub-Station	Ashok nagar

आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा इस कार्यालय में निजी नलकूप श्रेणी का जमा योजना के अन्तर्गत दिये आवेदन पर इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 3836 दिनांक 10-07-2023 को 8 एच0पी0 विद्युत भार स्वीकृत कर दिया गया था। उपखण्ड अधिकारी बिलासपुर द्वारा प्रेषित प्रांकलन के अनुसार विद्युत संयोजन हेतु नियम एवं शर्तें आपको प्रेषित की जा रही हैं। कृपया वांछित धनराशि अतिशीघ्र जमा कराये। यह नियम एवं शर्तें पत्र निर्गत के 90 दिनों तक ही वैध हैं। निर्धारित अवधि में धनराशि जमा न करने पर यह पत्र एवं आपका आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

क्र.सं.	विवरण	धनराशि
1.	सर्विस कनेक्शन व्यय	31527.00
2.	सिस्टम लोडिंग	00.00
3.	जमानत राशि	2400.00
4.	मीटर राशि	4957.00
5.	कुल राशि रु०	38884.00

उपरोक्त तालिका में क्रम सं० 5 पर अंकित धनराशि निर्धारित समय सीमा में जमा कराने का कष्ट करे व रु 300.00 के स्टाम्प पेपर, विद्युत फिटिंग सर्टिफिकेट, (B&L FORM) व रुपये 500.00 चालान के माध्यम से अपनी निकटतम भारतीय स्टेट बैंक शाखा के मुख्य लेखाशीर्षक-043, उपमुख्य शीर्षक-00, लघु शीर्षक-102 में जमा करा कर किसी भी कार्य दिवस में खण्ड कार्यालय में अनुबन्ध हेतु मान्य पहचान पत्र सहित उपस्थित हों।

आवश्यक सूचना-

1- निगम मुख्यालय द्वारा निर्गत वर्तमान आदेशों के अनुसार उपभोक्ता द्वारा निजी नलकूप संयोजन हेतु प्रोसेसिंग फीस जमा करने की तिथि को ही वरीयता क्रम की प्राथमिकता मानी जायेगी एवं उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में ही इस खण्ड द्वारा वरीयता निर्धारण के संबंध में कार्यवाही की जायेगी।

2- निजी नलकूप श्रेणी का सामान्य योजना के अन्तर्गत संयोजन उर्जीकरण हेतु निर्गत की जाने वाली निगमिय सामग्री दिलाने हेतु विद्युत भण्डार केन्द्र रामपुर को तभी नाम प्रेषित किया जा सकेगा जब प्रांकलन की धनराशि जमा कर दी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड- बिलासपुर